

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी डॉ.अम्बेडकर नगर महू जिला इंदौर म.प्र.

महू दिनांक / 11 / 3 / 2020

क्रमांक / 633 / स्टेनो / 2020

प्रति,

कलेक्टर महोदय
जिला इंदौर म.प्र.

विषय:- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नईदिल्ली द्वारा आवेदन पत्र क्रमांक 783/2019 में दिये
आदेश के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने बाबद।
सन्दर्भ:- श्रीमान के कार्यालय का पत्र क्रमांक 260/एन.जी.टी./2020 इंदौर दिनांक
12/02/2020

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नईदिल्ली द्वारा प्र.क्र. 783/2019 जितेन्द्रसिंह नारविया विरुद्ध म.प्र. शासन के संबंध में पारित आदेश एवं सन्दर्भित पत्र के पालन में खनिज निरीक्षक, डॉ.अम्बेडकर नगर महू जिला इंदौर से दिनांक 03/03/2020 को आदेश में वर्णित शताब्दीपुरम कालोनी ग्राम कोदरिया के संबंध में विस्तृत जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा लिया गया जिसमें खनिज अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि डा.अम्बेडकर नगर महू तहसील अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोदरिया में शताब्दीपुरम नामक कालोनी स्थित है जिसमें एक रहवासी कालोनी का निर्माण हो चुका है तथा उक्त शताब्दीपुरम कालोनी में एवं उसके आसपास कहीं भी अवैध रेत का उत्खनन होना नहीं पाया गया। मौके पर खनिज निरीक्षक द्वारा पंचनामा भी तैयार किया गया जिसमें भी उल्लेखित किया गया है कि शताब्दीपुरम कालोनी के पास कोई भी नदी या नाला नहीं है जिसमें रेत उत्खनन की गतिविधि हो सके। चूंकि उस स्थल पर रेत उत्खनन का अन्य कोई स्रोत भी नहीं है अतः रेत उत्खनन होना नहीं पाया गया। अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व डॉ.अम्बेडकर नगर महू, जिला खनिज अधिकारी इंदौर तथा खनिज निरीक्षक महू के कार्यालय में उक्त संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

शताब्दीपुरम से लगभग 1 कि.मी. दूर रामनगर के पास एक नाला प्रवाहित होता है जिसमें सीवरेज का गंदा पानी बहता है किन्तु उसमें भी रेत उत्खनन की स्थिति नहीं पाई गई। मौके पर पंचनामा तैयार करते समय स्थानीय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्रसिंह नारविया मौके पर बनी हुई कालोनी या उसके आसपास कहीं भी निवास नहीं करते हैं। शिकायत में वर्णित स्थल के आसपास कहीं भी निवास नहीं करते हैं।


निरन्तर पृष्ठ क्रमांक 02 पर

3
11/03/2020

शिकायत मे वर्णित स्थल के आसपास के छायाचित्र तैयार कराये गये उनमे भी उत्खनन नही पाया गया। साथ ही गुगल के माध्यम से मेप की इमेज तैयार कराई गई। उनमे भी आसपास नदी/नाला नही पाया गया।

अतः अनुरोध है कि माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल नईदिल्ली द्वारा पारित आदेश के संदर्भ मे तहसील डॉ.अम्बेडकर नगर महू के ग्राम कोदरिया के अन्तर्गत आने वाले शताब्दीपुरम मे कही भी रेत का अवैध उत्खनन नही पाया गया। अतः खनिज निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया जांच प्रतिवेदन, स्थानीय स्तर पर तैयार किये गये छायाचित्र तथा गुगल इमेज सहित वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन श्रीमान की ओर सादर सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


अनुविभागीय अधिकारी
डॉ.अम्बेडकर नगर महू
11/03/2020

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
डॉ अंबेडकर नगर महु,
जिला इन्दौर

विषय :- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा आवेदन पत्र क्रमांक 783/2019 मे दिये
आदेश के संबंध मे स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 115/स्टेनो/2019 दिनाक 10/01/2020 के पालन मे ।

-----0000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
नई दिल्ली दवारा प्रकरण क्रमांक 783/2019 जितेन्द्रसिंह नारविया विरुद्ध शासन के संबंध मे
पारित आदेश व आपके संदर्भ पत्र के पालन मे दिनाक 03/03/2020 को शताब्दीपुरम ग्राम
कोदरिया तह महु जिला इंदौर का निरीक्षण किया गया जिसकी जांच रिपोर्ट इस प्रकार है :-

मौके पर पाया गया कि उक्त स्थल शताब्दीपुरम ग्राम कोदरिया मे स्थित होकर
वर्तमान मे एक रहवासी कालोनी के नाम से स्थित है उक्त स्थल पर खनिज रेत का अवैध
खनन होना नहीं पाया गया, मौके पर उपस्थित पंचो के पूछने पर आस पास अवैध रेत
खनन नहीं होने कि जानकारी दी गई है, उक्त स्थल के आस पास कोई नदी भी प्रवाहित
नहीं होती है, जिसमे खनिज रेत का उत्खनन होना संभव नहीं है एवं उक्त स्थल पर खनिज
रेत का अन्य स्रोत भी नहीं है । शताब्दीपुरम से करीब एक किलोमीटर दूर राम नगर के
पास एक नाला स्थित है जिसमे खनिज रेत का खनन नहीं होता है, उक्त नाले मे सिवेज का
पानी बहता है । मौके पर कालोनी निवासियों दवारा शिकायतकर्ता जितेन्द्र सिंह नारविया यहा
निवास नहीं करते है कि जानकारी दी गई है ।

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत ।

सलग्न :- स्थल फोटोग्राफ एवं स्थल का गूगल इमेज ।

Alway
03/03/20

खनि निरीक्षक

जिला इंदौर

Teh. Mhaw (विस्तृत
प्रतिवेदन
बनवाये)
[Signature]
05/03/2020

सौदा - पंचनामा

एक ओर शताब्दीपुरम पंचनामा, यह पंचनामा श्री-श्री निवासी
 देते हैं कि आज दिनांक 03/03/2020 को लगभग रात 01:30 PM पर
 मामला अतिरिक्त अधिकारी (आयतन) डॉ. अशोक कुमार शर्मा द्वारा
 शताब्दी के पास रज. 115/शताब्दी/2019 सह दिनांक 10/01/2020 के आदेश से
 पुनः आज दिनांक को ग्राम कोषाध्यक्ष के शासकीयपुरम का निवास पर
 पर उपस्थित पंचों के समक्ष किया गया, सौदा पर पंचों द्वारा कि, 3000
 अथवा शासकीयपुरम ग्राम कोषाध्यक्ष से स्थित दोनो अथवा दोनो
 कालोनी के नाम से स्थित है, 3000 अथवा पर स्थित रेत का अथवा
 3000 अथवा दोनो श्री पंचों द्वारा सौदा पर उपस्थित पंचों से पंचों पर
 आदेश - पंचों अथवा स्थित रेत अथवा श्री देते कि जानकारी दी गई
 3000 अथवा पर के आदेश पंचों को श्री का प्रार्थना की जा दोनो
 पंचों द्वारा, निवासी स्थित रेत का 3000 अथवा दोनो अथवा श्री हैं पंचों
 3000 अथवा पर स्थित रेत का अथवा अथवा श्री हैं 3000 अथवा से श्री
 1 कि.मी. पूर तक छोटा वाला अथवा है जो कि शताब्दी के पास
 स्थित है, 3000 अथवा से श्री पंचों अथवा है, निवासी से रेत का
 अथवा श्री अथवा है 3000 अथवा पर पंचों द्वारा पंचों अथवा अथवा
 अथवा शासकीयपुरम से श्री अथवा पर यह श्री पंचों द्वारा कि श्री
 उपस्थित कालोनी अथवा द्वारा अथवा पंचों कि शताब्दीपुरम अथवा
 कि अथवा श्री निवासी श्री अथवा और अथवा द्वारा 3000
 शताब्दीपुरम कि जानकारी श्री जा दोनो अथवा पंचों

शताब्दी पंचनामा
Shahar



श्री पंचों
 11/11/20
 11/11/20
 श्री - शासकीयपुरम
 कोषाध्यक्ष पंचों

पंचनामा के अथवा
 31/31
 M.L. Zard
 03/03
 9.8.



अमन कोषाध्यक्ष
 96-शासकीयपुरम कालोनी
 कोषाध्यक्ष पंचों



श्री स्वामी
 11/11/20
 श्री 3/0 अथवा अथवा
 निवासी - शासकीयपुरम



श्री अथवा
 श्री अथवा
 श्री अथवा



Handwritten text in Hindi, partially visible on the left edge of the page.









DEEPAK KAMBLE
S/O S.C. KAMBLE
16, SHANTIBHUBALI COLONY
KODARIYA MHOW

2020.03.02 14:32



2020.03.02 14:24





2020.03.02 14:32